सं 610/आ0वि0/05 27/3/15

संख्या– 611 /8–3–15–31विविध/14

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
   लखनऊ।
2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
5. **अध्यक्ष,**
   विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण।
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः** **दिनांकः 27 मार्च, 2015**

विषयः नये भू–अर्जन सम्बन्धी अधिनियम "भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" के जनवरी, 2014 से प्रदेश में लागू होने के पश्चात् पुराने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के क्रम में चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की स्पष्टता (Clarification) सम्बन्धी पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24.03.2014 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया **नये भू–अर्जन सम्बन्धी अधिनियम** "भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" के जनवरी, 2014 से प्रदेश में लागू होने के पश्चात् पुराने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के क्रम में चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टता (Clarification) सम्बन्धी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–539/8–3–14–31विविध/14 दिनांक 24.03.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नये अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–24(2) में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में भू–अर्जन सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था।

2– इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–24(2) के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–1/2015/ 67/एक–13–2015–7क(85)14 दिनांक 30.01.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश / प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है, अतएव नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की स्पष्टता सम्बन्धी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 24.03.2014 औचित्यपूर्ण न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 30.01.2015 (प्रति संलग्न) में वर्णित प्राविधानों/दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
26/3/15
(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

M.GO.(2)

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित की समस्त अभिकरणों को उक्त पत्र परिचालित किये जाने के सम्बन्ध में आवास विभाग की वेब–साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

M.GO.(2)

संख्या- 1/2015/67/एक–13–2015–7क(85)14

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद,उ0प्र0

3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग– 13 लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2015

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत कार्यवाही की प्रक्रिया।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) में यह व्यवस्था है कि उक्त अधिनियम की धारा 24(1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मामले में भू–अर्जन की कार्यवाही भू–अर्जन अधिनियम,1894 के अंतर्गत प्रारम्भ की गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख अर्थात 01–01–2014 से 05 वर्ष अथवा उसके पूर्व एवार्ड की घोषणा की गयी है किन्तु भूमि पर वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह व्यपगत हो गयी है और यदि समुचित सरकार चाहें तो वर्ष 2013 के अधिनियम के अंतर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ कर सकेगी। इस उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार जहां अभिनिर्णय किया गया है तथा बहुसंख्यक भू–धारकों/हितबद्ध व्यक्तियों के खाते में प्रतिकर जमा नहीं किया गया है, तो भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अर्जन की अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट सभी

भू–धारकों/हितबद्ध व्यक्तियों को वर्ष 2013 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

2– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रंतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या–9 सन् 2014) की धारा 6 द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24 की उपधारा(2) के प्रथम परन्तुक के उपरान्त निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक बढ़ाया गया है:–

" Provided further that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction issued by any court or the period specified in the award of a Tribunal for taking possession or such period where possession has been taken but the compensation lying deposited in a court or in any account maintained for this purpose shall be excluded."

3– उपरोक्त से स्पष्ट है कि द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित अवधि यदि कोई हो, को अवधि की गणना में से निकालने पर यदि अवशेष अवधि 05 वर्ष या अधिक है तथा एवार्ड की घोषणा 01–01–2014 से 05 वर्ष अथवा उसके पूर्व हुई है तो धारा 24(2) के प्राविधान लागू होगें। भूमि पर भौतिक कब्जा लिया जाना या प्रतिकर का संदाय मा0 न्यायालय न किया जाना अथवा इस विशिष्टि प्रयोजन के लिए खोले गये खाते में न किये जाने में से कोई एक शर्त पूरी होने पर धारा 24(2) के प्राविधान लागू होगें। धारा 24(2) का प्रथम परन्तुक धारा 24(2) का अपवाद है। अतः जो प्रकरण धारा 24(2) के प्रथम परन्तुक से आच्छादित होगें उनमें धारा 24(2) के प्राविधान लागू नहीं होगें।

4– उपरोक्त धारा 24(2) के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों/संदर्भो/प्रकरणों के निस्तारण की निम्नलिंखित प्रकिया निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है:–

(क) धारा 24(2) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/संदर्भो/प्रकरणों पर संबंधित जिलाधिकारी से तथ्यात्मक पुष्टि कराकर प्रशासनिक विभागों द्वारा परीक्षणोपरान्त मत स्थिर किया जायेगा।

(ख) तदोपरान्त प्रशासनिक विभागों द्वारा राजस्व विभाग एवं न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर मा0 विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से

यथावश्यक संबंधित अर्जन प्रक्रिया के व्यपगत करने की अधिसूचना विधायी विभाग से विधीक्षत कराकर जारी की जायेगी।

5– अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–67 (1)/एक–13–2015 तद् दिनांक 1/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनउ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष।
(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उपसा एवं यूपीडा।
(4) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
अनु सचिव।